रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 518] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 30, 1990/अग्रहायण 9, 1912
No. 518] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 30, 1990/AGRAHAYANA 9, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1990

सा.का.नि. 929 (अ) :—पैट्रोलियम नियमावली, 1976 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्रारूप, पैट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 29 की उप-धारा (2) और (3) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 433 (अ) दिनांक 10 अप्रैल, 1989 के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि समाप्त होने से पहले आपत्तियां अथवा सुझाव मांगे गये थे जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी;

और यतः उक्त अधिसूचना 11 मई, 1989 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और यतः केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप के संबंध में कोई आपत्तियां या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, पैट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 4, धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पैट्रोलियम, नियमावली, 1976 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पैट्रोलियम (संशोधन) नियम 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पैट्रोलियम नियम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), में, नियम 194 के उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4) यदि परीक्षण किया जाने वाला पैट्रोलियम चिपचिपा ठोस पदार्थ है या उसमें तलछट या जमने वाले संघटक हैं, तो ऐसे पैट्रोलियम का परीक्षण पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार किया जाएगा",

3. उक्त नियमों के नियम 198 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"198 क प्रवेश करने, निरीक्षण करने, तलाशी लेने और अभिग्रहण करने की शक्तियां।

(1) नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर—

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये वस्तुएं अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार हैं, ऐसे किसी स्थान में जहां उसे ऐसा विश्वास करने का कारण है कि वहां पट्रोलियम का आयात, परिवहन, भंडारण, उत्पादन, परिष्करण या मिश्रण किया जाता है या परिवहन के अधीन है, प्रवेश निरीक्षण कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा और उसके संबंध में प्रयुक्त सभी आधानों, संयंत्रों और साधित्रों का निरीक्षण कर सकेगा ;

(ख) उसमें पैट्रोलियम की तलाशी ले सकेगा ;

(ग) वहां प्राप्त होने वाले पैट्रोलियम का परीक्षण करने के लिए नमूने ले सकेगा और लिए गए नमूने के मूल्य के बराबर नकदी के रूप में संदाय कर सकेगा; और

(घ) ऐसे किसी पैट्रोलियम का या किसी सामग्री का जिस पर पैट्रोलियम होने का संदेह है या उसमें प्रयुक्त होने वाले किसी उपस्कर या साधित्र का, उससे संबंधित दस्तावेजों के साथ, अभिग्रहण कर सकेगा, निरुद्ध रख सकेगा और हटा सकेगा जिसके बारे में, उसे विश्वास करने का कारण है कि अधिनियम के या इन नियमों के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन किया गया है।

सारणी

अधिकारी का पदनाम	अधिकारिता की सीमा
(1)	(2)
विस्फोटक का मुख्य नियंत्रक और नियंत्रक	सम्पूर्ण भारत
सभी जिला मजिस्ट्रेट	उनके अपने-अपने जिले
जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ सभी मजिस्ट्रेट	उनकी अपनी अपनी अधिकारिता
ऐसे पुलिस अधिकारी, जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो।	ऐसा क्षेत्र, जिस पर उनके प्राधिकार का विस्तार है।

(2) जब कभी मुख्य नियंत्रक से भिन्न कोई अधिकारी इस नियम के अधीन किसी पैट्रोलियम या उससे संबंधित किसी सामग्री या उससे संबंधित किसी दस्तावेज का अभिग्रहण, प्रतिधारण करता है, या उसे हटाता है तो वह तुरन्त इस तथ्य की सूचना तार द्वारा मुख्य नियंत्रक को और उस नियंत्रक को देगा जिसकी अधिकारिता उस स्थान पर है जहां अधिग्रहण इत्यादि किया गया है और जब कभी कोई अधिकारी, जो जिला प्राधिकारी ही है, किसी पेट्रोलियम का या उससे संबंधित किसी सामग्री का या उससे संबंधित किसी दस्तावेज का इस नियम के अधीन अभिग्रहण, प्रतिधारण करता है या हटाता है तो वह तुरन्त इस तथ्य की सूचना तार द्वारा संबंधित जिला प्राधिकारी को देगा, जो मामले के तथ्य की सूचना मुख्य नियंत्रक को और अधिकारिता प्राप्त नियंत्रक को देगा।

(3) जब कभी नियम के अनुसार कोई नमूना लिया जाता है तब उसका परीक्षण इन नियमों के अध्याय X के सुसंगत उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

(4) जब कभी इस नियम के अधीन किसी पेट्रोलियम का अभिग्रहण किया जाता है तो इसे तब तक के लिए पर्याप्त सुरक्षा के अधीन रखा जाएगा जब तक कि मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक, विस्फोटक, द्वारा इसकी परीक्षा नहीं की जाती और इसके व्ययन के संबंध में उससे अनुदेश प्राप्त नहीं हो जाता।

(5) जब कभी इस नियम के अधीन तलाशी ली जाती है तब उसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के उपबन्धों के अनुसार पूरा किया जाएगा।

पुलिस और जिला प्राधिकरणों के सभी अधिकारी अधिनियम और नियमों के निष्पादन में विस्फोटक के मुख्य नियंत्रक और नियंत्रक की सहायता करेंगे।

(6) जब कभी कोई व्यक्ति स्वयं या उसके नियोजनाधीन व्यक्ति द्वारा इस नियम के अधीन सम्यक रूप से नियुक्त ऐसे अधिकारी को, जो उस नियम के अधीन अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य कर रहा है, स्वेच्छया बाधा पहुंचाता है या प्रतिरोध करता है या अन्यथा अड़ंगा डालता है या सूचना देने से इनकार करता है या देने में असफल रहता है या जानबूझकर मिथ्या और भ्रामक सूचना देता है तो, ऐसे व्यक्ति को यह समझा जाएगा कि उसने इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है।

198 ख. पेट्रोलियम को नष्ट करना :—विस्फोटक से मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक किसी ऐसे पेट्रोलियम या उससे संबंधित किसी सामग्री या उपस्कर को नष्ट कर सकेगा, जिसकी बाबत विस्फोटक के मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि अधिनियम या इन नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है, या जो उसकी राय में भंडारण या परिवहन या उपयोग के लिए अब उपयुक्त नहीं रह गया है। पेट्रोलियम, की, यथास्थिति अनुज्ञप्तिधारक या परिसर के अधिभोगी के खर्चे पर नष्ट किया जाएगा।"

4. उक्त नियमों के नियम 200 में "इन नियमों" शब्दों के स्थान पर "इस अधिनियम के अध्याय 1" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

5. उक्त नियमों की चौथी अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

पांचवीं अनुसूची

(कृपया नियम 194 देखें)

पेट्रोलियम के चिपचिपा या ठोस रूप के परीक्षण की पद्धति।

यदि पेट्रोलियम का परीक्षण किया जाने वाला नमूना चिपचिपा या ठोस है, या उसमें तलछट या जमने वाले संघटक हैं, तो ऐसे पेट्रोलियम का परीक्षण ए. बी. ई. एल. साधित्र में निम्नलिखित रीति से किया जाएगा :—

ठोस मिश्रण को 38.1 मि.मी. लम्बे और 6.3 मि.मी. व्यास वाले बेलनों के रूप में, कार्क छेदक द्वारा या अन्य समान कर्तक द्वारा जिसका आन्तरिक व्यास ठीक-ठीक हो, काटा जाएगा। इन बेलनों को परीक्षण साधित्र की पेट्रोलियम प्याली में सम्यक रूप में इतनी संख्या में रखना है, जितनी से प्याली पूरी तरह भर जाए। बेलनों को एक दूसरे से सटा होना चाहिए किन्तु इतना कसा हुआ नहीं होना चाहिए कि उनकी आकृति बिगड़ जाए। प्याले के मध्य में पांच या छह बेलनों को 127 मि.मी. में इस प्रकार लाघूकृत करना चाहिए, जिससे कि थर्मामीटर बल्ब के लिए खाली स्थान बच जाए।

ऐसे पेट्रोलियम को, जो चिपचिपा है या जिसमें तलछट या जमनेवाले संघटक हैं, परीक्षण साधित्र के पेट्रोलियम प्याले में लंब रूप में भरा जाएगा ताकि प्याला पूरी तरह भर जाए।

परीक्षण साधित्र की वायु स्नानागार को जल से 38.1 मि.मी. गहराई तक भरा जाना चाहिए फिर जल स्नानागार के ताप को लगभग 80° फारेनहाइट के तापमान तक लाकर उसी स्तर पर बनाए रखना चाहिए।

इसके पश्चात् प्याली को वायु-स्नानागार में रखना चाहिए और नमूने के ताप को तब तक बढ़ने देना चाहिए जब तक तैल प्याले में के तापमापी 75° फारेनहाइट ताप प्रदर्शित न करे, तब परीक्षण ज्वाला का प्रयोग करना चाहिए।

यदि कोई कौंध नहीं प्राप्त होती है, तो इस ताप को एक घंटे के लिए तैरक-प्याले में लगातार बनाए रखें। इस समय की समाप्ति पर परीक्षण ज्वाला का पुनः प्रयोग करें।

यदि कौंध प्रकट होती है तो ठोस मिश्रण पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के उपबन्धों के अधीन होगा।

[फा. सं. 3(1)/86-डी.पी.आर./ए.जी.सी.एस.]

आर.के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण:—मूल नियम भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 479(अ), तारीख 30 जून, 1976 के रूप में भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i) सं. 253 तारीख 26 जुलाई, 1976 के पृष्ठ 1683-1889 पर प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनके निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए :—

(i) भारत के राजपत्र, भाग, 2, खंड 3(i) के पृष्ठ 1798-1800 पर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 834, तारीख 25 जुलाई, 1980

(ii) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड (3(i) के पृष्ठ 1183-1184 पर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. का.नि. 493 तारीख 6 मई, 1981

(iii) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i) के पृष्ठ 1861-1962 पर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 756 तारीख 28 जुलाई, 1981

(iv) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i) के पृष्ठ 1862 पर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 757, तारीख 29 जुलाई, 1981।

(v) भारत के राजपत्र, भाग 3, खंड 3(i) के पृष्ठ 2138 पर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 884 तारीख 15 सितम्बर, 1981

(vi) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i) के पृष्ठ 746 पर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 315, तारीख 16 मार्च, 1982

(vii) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i) के पृष्ठ 1910-1911 पर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 660 तारीख 15 जुलाई, 1982

(viii) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i) के पृष्ठ 1911 पर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 661 तारीख 16 जुलाई, 1982

(ix) भारत का राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i) सं. 403, तारीख 6 सितम्बर, 185 में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 726(अ) तारीख 3 सितम्बर, 1985

(x) भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3(i) सं. 253 तारीख 14 मई, 1987 में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 496(अ) तारीख 11 मई, 1987

(xi) भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3(i) सं. 324, तारीख 23 जून, 1987 में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ) तारीख 17 जून, 1987

(xii) भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3(i), सं. 325 तारीख 23 जून, 1987 में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 591(अ) तारीख 30 जून, 1987

(xiii) भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 3(i) सं. 365 तारीख 3 जुलाई, 1987 में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 644(अ) तारीख 30 जून, 1987

(xiv) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3(i) सं. 80 तारीख 24 फरवरी, 1988 में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 98(अ) तारीख 22 फरवरी, 1988

(xv) भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3(i) सं. 131 तारीख 21 मार्च, 1988 में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 362(अ), तारीख 16 मार्च, 1988

(xvi) भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3(i) सं. 66, तारीख 3 फरवरी, 1989 में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 79(अ), तारीख 31 जनवरी, 1989

(xvii) भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3(i) सं. 247, तारीख 9 मई, 1989 में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 511(अ) तारीख 3 मई, 1989

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 1990

G.S.R. 929(E).—Whereas a draft of certain rules further to amend the Petroleum Rules, 1976, was published as required by Sub-sections (2) and (3) of section 29, of the Petroleum Act, 1934, (30 of 1934), with the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. GSR 433(E), dated the 10th April, 1989, in the Gazette of India, Extra-Ordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section (i) inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of 45 days from the date on which the notification was made made available to the public;

And, whereas the said notification was made available to the public on the 11th May, 1989;

And whereas no objections or suggestions were received from the public on the said draft by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 4 and Sub-Section (1) of Section 29 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Petroleum Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Petroleum (Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum Rules, 1976, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 194, after the sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(4) If the petroleum to be tested is viscous or solid or contain sediments or thickening ingredients, such Petroleum shall be tested in accordance with the methods specified in the Fifth Schedule.

3. After rule 198 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely :—

"198 A. Powers to enter, inspect, search and seize.—

(1) Any officer, specified in column (1) of the Table below, may within the jurisdiction specified in corresponding entry in column (2) of the said Table—

(a) enter, inspect and search any place where he has reason to believe that any petroleum is being imported, transported, stored, produced, refined or blended or is under transport and inspect all receptacles, plants and appliances used in connection therewith in order to ascertain if they are in accordance with the provisions of the Act and of these rules;

(b) search for petroleum therein;

(c) take samples for testing of any petroleum found therein and make payment by cash for values of samples taken; and

(d) seize, detain and remove any petroleum or any material suspected to be petroleum or any equipment or appliances used therein together wtih

connected documents thereof in respect of which he has reasons to believe that any of the provisions of the Act or of these rules have been contravened.

TABLE

Designation of the Officer	Limit of Jurisdiction
(1)	(2)
Chief Controller and Controller of Explosives	Whole of India
All District Magistrates	Their respective districts
All Magistrates sub ordinate to District Magistrates	Their respective jurisdiction.
Police officer not below the rank of an Inspector	The area over which their authority extends

(2) Whenever any officers other than the Chief Controller, seizes, detains or removes any petroleum or any material connected therewith or any connected documents thereof under this rule, he shall forthwith report the fact by telegram to the Chief Controller and the Controller having jurisdiction over the place where seizure etc., has taken place and whenever any officer not being the district authority seizes, detains or removes any petroleum or any material connected therewith or any connected documents thereof under this rule, he shall forthwith report the fact by telegram to the District authority concerned, who shall intimate the facts of the case to the Chief Controller and the Controller having jurisdiction.

(3) Whenever any samples are taken in accordance with this rule, they shall be tested in accordance with the relevant provisions of Chapter X of these rules.

(4) Whenever any petroleum is seized under this rule, it shall be stored, under adequate guard until examination by Chief Controller or Controller of Explosives and receipt of instructions from him as to its disposal.

(5) Whenever searches are made under this rule the same shall be carried out in accordance with the provisions of the code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974). All officers of the police and district authorities shall assist the Chief Controller of Explosives in the execution of the Act and rules.

(6) Whenever any person by himself or by any person in his employ voluntarily obstructs or officrs ony resistance to or otherwise interferes with or refuses or fails to give or wilfully gives false or misleading information to the officer duly appointed under this rule who is acting in accordance with his duty there under such person shall be deemed to have committed an offence under the Act.

198B. Destruction of petroleum.—The Chief Controller or a Controller of Explosives may destroy any petroleum or any material or equipment connected in respect of which the Chief Controller or Controller of Explosives has reason to believe that any of the provisions of the Act or of these rules have been contravened or which in his opinion is no longer fit for storage, transport or use. The petroleum shall be destroyed at the expenses of of the licensee or the occupier of the premises, as the case may be."

4. In rule 210 of the said rules, for the words "these rules", the words and figure "Chapter 1 of the Act' shall be substituted.

5. After the Fourth Schedule to the said rules, the following Schedule shall be added, namely :—

"FIFTH SCHEDULE

(See Rule 1947)

METHODS OF TESTING VISCOUS OR SOLD FORMS OF PETROLEUM

If the sample of petroleum to be tested is viscous or solid or contains sediments or thickening ingredients, such petroleum shall be tested in the ABEL apparatus in the following manner :—

The solid mixture must be cut into cylinders 38.1 mm long and 6.3 mm in diameter by means of a cork borer or other similar cutter having the correct internal diameter. These cylinders are to be placed in the petroleum cup of the testing apparatus in a vertical position in such number as will completely fill the cup. The cylinders must be in contact with one another but must not be so tightly packed as to be deformed in shape.

Five or six of the cylinders in the centre of the cup must be shortened to 127 mm. to allow space for the theremometer bulb.

The petroleum which is viscous or contained sediment or taickening ingredients shall be filled in the petroleum cup of the testing apparatus in a vertical position so that it completely fills the cup.

The air bath of the testing apparatus must be filled to a depth of 38.1 mm. with water. The water bath must then be raised to, and maintained at, a temperature of about 80° F.

The cup must then be placed in the air bath, and the temperature of the sample must be allowed to rise untill the thermometer in the oil-cup shows 75°F when the test flame must be applied.

If no flash is obtained, this temperature must be maintained constant in the oil-cup for one hour, at the expiration of which time the test flame must again be applied.

If a flash is obtained, the solid mixture will be subject to the provisions of the Petroleum Act, 1934."

[F. No. 3(1)|86-DPR|EGGS

R. K. SINHA, Jt. Secy

FOOT NOTE :

The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section-3,(i) No. 253 dated 26th July, 1976 a pages 1683—1889 vide Government Notification Ministry of Industry and Civil Supplies, No. GSR 479(E) dated 30th June, 1976 and was subsequently amended by :—

(i) Government notification, No. GSR 834 dated 25th July, 1980, published in Gazette of India Part II Section 3(i) at page 1798-1800.

(ii) Government notification, No. GSR 493 dated 6th May, 1981 published in Gazette of India, Part-II Section 3(i) at pages 1183-84.

(iii) Government notification, No. GSR 756 dated 28th July, 1981 pubilshed in Gazette of India, Part-II Section 3(i) at pages 1861-62.

(iv) Government notification, No. GSR 757 dated 29th July, 1981 pubilshed in Gazette of India, Part-II Section 3(i) at pages 1862.

(v) Government notification, No. GSR 884, dated 15th September, 1981 published in Gazette of India Part-II, Section 3(i) at pages 2138.

(vi) Goversment notification, No. GSR 315 dated 16th March, 1982, published in Gazete of India, Part-II, Section 3(i), at page 746.

(vii) Government notification, No. GSR 660 dated 15th July, 1982 published in Gazette of India, Part-II, Section 3(i), at pages 1910-1911.

(viii) Government notification, No. GSR 661 dated 16th July, 1982 published in Gazette of India, Part-II, Section 3(i), at pages 1911.

(ix) Government notification No. GSR 726(E) dated 3rd Septmebr, 1985 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3(i), No. 403, dated 6th September, 1985.

(x) Government notification, No. GSR 496(E), dated 11th May, 1987, published in the Gazette of India, Part-II, Section 3(i) No. 253 dated 14th May, 1987.

(xi) Government notification, No. GSR 590(E) dated 17th June, 1987, published in Gazette of India, Part-II, Section 3(i) ,No. 324 dated 23rd June, 1987.

(xii) Government notification, No. GSR 591(E), dated 19th June, 1987, published in Gazette of India, Part-II, Section 3(i) No. 325 dated 23rd June, 1987.

(xiii) Government notification No. GSR 644(E) dated 30th June, 1987, published in Gazette of India, Part-II, Section 3(i), No. 365 dated 3rd July, 1987.

(xiv) Government notification, No. GSR 98(E) dated 22nd February, 1988, published in Gazette of India, Part-II, Section 3(i), No. 80 dated 24th February, 1988.

(xv) Government notification No. GSR 362(E) dated 16th March, 1988, published in Gazete of India, Part-II, Section 3(i), No. 131 dated 21st March, 1988.

(xvi) Government notification No. GSR 79(E), dated 31st January, 1989, publshed in Gazette of India, Part-II, Section 3(i), No. 66, dated 3rd February, 1989.

(xvii) Government notification No. GSR 511(E) dated 3rd May, 1989 published in Gazette of India, Part-II, Section 3(i), No. 247, dated 9th May, 1989.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990